

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्रीमती अम्बू पत्नी देवीलाल ढोली निवासी सुखवाडा तह. मावली।
2. निर्मला पुत्री देवीलाल ढोली निवासी सुखवाडा तह. मावली।
3. श्री लक्ष्मण पिता देवीलाल ढोली निवासी सुखवाडा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का साकरियाखेडी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 194 / 24 (वाद) GCMS No. – 2024 / 436

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सुखवाडा पटवार हल्का साकरिया खेडी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 272 पर दर्ज आराजी नम्बर 1226/175, 1229/176, 261, 264 किता 4 रकबा 0.6879 हेक्टेयर भूमि में वादीगण के पिता/पति का नाम देवा के बजाय देवीलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

